न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/02/2023	2023/311	26–07–2023	04–12–2024

1. मु0 मूसाराम पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम डोबा रिंगसपुरी तहसील व जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र ग्यासी राम जाति जैन निवासी होली उपर अलवर राज0।
2. भू–आवंटन सलाहकार समिति जर्ये अध्यक्ष सहायक कलक्टर अलवर।

–अप्रार्थीगण

अपीलप्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.06.1989

उपस्थितः–

01–श्री सुरेन्द्रसिंह चौहान –वकील प्रार्थी

02. श्री दीपक मीना – अप्रार्थी सं0 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक

–निर्णयः–

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) सहायक कलक्टर, अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 12.06.1989 जिसके द्वारा ग्राम किशनपुर नया राजस्व ग्राम डोबा रिंगसपुरी तह0 व जिला अलवर की आराजी गत आराजी खसरा न0 96 मीन हाल आराजी खसरा न0 415 रकबा 0.68 है0, 551/1075 रकबा 2.09 है0 भूमि का आंवटन अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 96 मी० क्षेत्रफल 11 बीघा हाल खसरा नम्बर 415 क्षेत्रफल 0.68 है० व खसरा नम्बर 551/1075 रकबा 2.090 है० वाके ग्राम किशनपुर हाल नया राजस्व ग्राम डोबा रिंगसपुरी तहसील व जिला अलवर राज० में है जो विवादित आराजी है। आवंटन आदेश भू आवंटन सलाहकार समिति जर्ये अध्यक्ष सहायक कलक्टर अलवर द्वारा खसरा नम्बर गत 96 क्षेत्रफल 11 बीघा हाल 415 क्षेत्रफल 0.68 है० एवं खसरा नं. 551/1075 क्षेत्रफल 2.090 है० वाके ग्राम किशनपुर हाल डोबा रिंगसपुरी तहसील व जिला अलवर खिलाफ मौका एवं न्यायिक तथ्यों के विपरीत बिना मौका जाँच किये आवंटन अप्रार्थी सं. 1 को किया गया है जो कानूनी रूप से मनसुख निरस्तीकरण योग्य है। आवंटन आदेश दिनांक 12.6.89 की जानकारी मिन प्रार्थी को नकल प्राप्त करने के उपरांत दिनांक को हुआ तब प्रार्थी द्वारा कानूनी राय लेकर एवं राजस्व कागजातों की नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र उजवारी बिना किसी देरी के श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अपितु विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र उजदारी प्रस्तुत करने की कोई मियाद कानूनी नियत नहीं है जो काबिले गौर अदालत श्रीमान है। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आलोच्य आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व मुख्यालय ग्राम पर कोई भी विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए जारी की गई और ना ही मौका की जाँच की गई. बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये आवंटन किया गया। इसलिए आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। विवादित आराजी साबिक खसरा नं. गत 96 क्षेत्रफल 11 बीघा हाल 415 क्षेत्रफल 0.68 है० एवं खसरा नं. 551/1075 क्षेत्रफल 2.090 है० वाके ग्राम किशनपुर हाल डोबा रिंगसपुरी तहसील व जिला अलवर पर प्रार्थी अर्से दराज से काबिज रहकर निर्विवाद रूप से काश्त कर रहा है। आवंटन से पूर्व संवत् 2023–26 की गिरदावरी में साबिक खसरा नंबर 96

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मीन में प्रार्थी की काश्त दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उकत आराजी को काबिल काश्त करने में प्रार्थी ने काफी मेहनत की है अप्रार्थी संख्या एक आवंटी गैर काबिज एवं गैर वास्ता सख्श है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अप्रार्थी संख्या एक वक्त आवंटन राज्य सरकार का कर्मचारी था ग्राम या ग्राम पंचायत का निवासी नहीं है एवं अनुसूचित जाति या जन जाति वर्ग का नहीं है साथ ही आवंटी अप्रार्थी सं. 1 को एकमुश्त आवंटन 11 बीघा किया गया है जिस पर अप्रार्थी द्वारा आज तक काश्त नहीं की। इस कारण आवंटन नियमों का उल्लंघन हुआ है मौके पर मिन प्रार्थी काबिज रहकर काश्त कर रहा है कुछ रकबा पहाड की तलहटी में है जिसे सरकारी सियापक करना न्यायोचित होगा आवंटी को कोई दखल दिया नहीं गया। इसी कारण अप्रार्थी सं. 1 आवंटी अर्से गुजरने के पश्चात भी गैर खातेदार रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसने आज तक इस आराजी को मौके पर देखा तक नहीं और ना ही काश्त की, वल्कि नियमों के विपरीत जाकर सांठ गांठ कर आवंटन करा लिया है इस कारण भी आवंटन निरस्त होने योग्य है। आवंटी ने आवंटन नियमों शर्तो की पालना कतई नहीं की गई है अप्रार्थी सं. 1 ने आज तक इस आराजी में काश्त या फसल नहीं बोई है प्रार्थी आवंटन से पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त कर रहा है। आवंटन के वक्त उक्त आराजी खाली नहीं थी तथा अप्रार्थी संख्या एक आवंटी कभी भी स्थानीय काश्तकार था जो पंचायत क्षेत्र का भी नहीं है आवंटी ने अपने पक्ष में आवंटन स्वंय के प्रभाव एवं सलाहकार समिति को गुमराह कर आवंटन कराया है। एक बडे क्षेत्रफल को सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को आवंटन करना न्याय संगत नहीं है। अप्रार्थी एक राज्य कर्मचारी एवं धनाड्य व्यक्ति है ऐसी सूरत में किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। मिन प्रार्थी काफी वर्षो से इस आराजी पर काबिज है श्रीमान इसमें मौके की जाँच फरमावें, जिससे न्याय करने में सहूलियत रहेगी। विवादित आराजी ग्राम हाल डोबा रिंगसपुरी तहसील अलवर में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या एक आवंटी को नियम विरूद्ध आवंटन किया गया है क्यों कि वक्त आवंटन आराजी मुतनाजा का न्यायालय उचित समझे वो मौका जाँच के आदेश फरमावें। जिससे न्यायालय को न्याय रोशन होगा। प्रार्थी का मुतनाजा आराजी पर काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं जागीर रिजम्पशन एण्ड रिफार्मा एक्ट के लागू से पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है मौके पर आज भी प्रार्थी की काश्त बोई हुई है। विवादित आराजी की सिंचाई भी मिन प्रार्थी द्वारा हमारे शामलाती कुए से की जा रही है। आवंटी अप्रार्थी संख्या एक इस आराजी पर कब्जा काबिज नहीं रहा और न ही आज काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी सं. 1 को ग्राम किशनपुर तहसील हाल ग्राम डोबा रिंगसपुरी तहसील अलवर के गत खसरा नम्बर 96 मीन हाल खसरा नम्बर 415 रकबा 1068, 551/1075 रकबा 2.09 है० किया गया आवंटन निरस्त कर प्रार्थी के हक में नियमन के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी सं0 1 बावजूद रजि0 तामील एवं अखबार साया के अनुपस्थित रहा है।

अप्रार्थी सं0 2 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर चिन्तन–मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन किया है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नं. गत 96 क्षेत्रफल 11 बीघा हाल 415 क्षेत्रफल 0.68 है० एवं खसरा नं. 551/1075 क्षेत्रफल 2.090 है० वाके ग्राम किशनपुर हाल डोबा रिंगसपुरी तहसील व जिला अलवर पर प्रार्थी अर्से दराज से काबिज रहकर निर्विवाद रूप से काश्त कर रहा है। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का पैतपुर की मौका रिपोर्ट वाके ग्राम डोबा रिंगसपुरी दिनांक 07.10.2024 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम डोबा रिंगसपुरी के खाता सं0 88 में ख0नं0 415/0.68 बारानी–2, 551/1075 रकबा 2.09 बारानी–2 किता–2 रकबा 2.77 है0 नरेन्द्र कुमार पुत्र ग्यासीराम जाति जैन सा0 अलवर गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान ने बताया कि ख0नं0 415/0.68 है0 पर फसल प्याज मूसाराम पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी डोबा रिंगसपुरी व ख0नं0 551/1075/2.09 में से लगभग 0.50 है0 में फसल बाजरा भी मूसाराम पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी डोबा रिंगसपुरी द्वारा काश्त की हुई है। उक्त आराजी के शेष रकबा मौके पर पहाड़ (राड़ा) है। मुताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है एवं शेष आराजी मौके पर पहाड़ (राड़ा) है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जॉच के, बिना उद्घोषणा के अप्रार्थी सं0 1 को उक्त विवादित आराजी आवंटित की गई है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 12.06.1989 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 12.06.1989 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आवंटन में दर्ज भूमि को सिवायचक खाते में दर्ज किया जावे। प्रार्थी आवंटन/नियमन के परिप्रेक्ष्य में आता हो तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.12.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)